सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

वाद संख्या 5400 / 1024 / 2015 दिनांक: 12 .07.2017

श्री प्रदीप कुमार दिवेदी,
39, कूचा शील चन्द्र, R2047
रेलवे रोड, इटावा,
उत्तर प्रदेश ... वादी

बनाम

अध्यक्ष,
पूर्वांचल बैंक,
प्रधान कार्यालय, R2048
मोहददीपुर,
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ... प्रतिवादी सं.01

महाप्रबंधक,
पूर्वांचल बैंक,
प्रधान कार्यालय, R2049
मोहददीपुर,
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ... प्रतिवादी सं.02

शाखा प्रबंधक,
पूर्वांचल बैंक, R2050
शाखा कार्यालय,
कुनैरा,जनपद--इटावा,
उत्तर प्रदेश ... प्रतिवादी सं.03

सुनवाई की तिथि – 28.12.2016 तथा 01.06.2017
उपस्थित-- वादी एवं प्रतिवादी अनुपस्थित

आदेश

श्री प्रदीप कुमार दिवेदी, 40 प्रतिशत दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा, के अन्तर्गत एक शिकायत दिनांक 23.10.2015 जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03.12.2013 के अनुसार आरक्षण दिलवाने से संबंधित है, इस न्यायालय में दायर की ।

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत मामले को प्रतिवादी के साथ उठाया गया ।

3. महाप्रबंधक(प्रशारान), पूर्वांचल बैंक ने पत्रांक 2015–16 / कार्मिक / 4090 दिनांक 17.12.2015 द्वारा इस न्यायालय को निम्नलिखित सूचित किया कि :–

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाष: 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

- विकलांग अभ्यर्थियों के लिये ग्रुप'ए' एवं ग्रुप 'बी; की रिक्तियों की सीधी भर्ती में भारत सरकार के निर्देशानुसार 03 प्रतिशत की दर से क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था का नियमित रूप से पूर्णतया परिपालन किया जा रहा है।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/24/2009–स्था.(आरक्षण) दिनांक 03.12.2013 का पूर्णतया परिपालन किया जा रहा है।
- यह कि, शिकायतकर्ता श्री प्रदीप कुमार दिवेदी, बैंक में कार्यालय सहायक के पद पर कार्यरत हैं । यह पद ग्रुप 'बी' की सेवा में वर्गीकृत है। भारत सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत ग्रुप 'ए' एवं 'बी' के विकलांग कार्मिकों हेतु प्रोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान में लागू नहीं है।
- शिकायतकर्ता के कार्मिक हितों के प्रति बैंक सकारात्मक विचार रखती है। उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित कर्मी अपनी मनमानी कार्यपद्धति अपनाते हुये माननीय उच्च न्यायालय में वाद एवं अन्य संस्थाओं में सतही शिकायतें दर्ज कराते रहते है। प्रश्नगत शिकायत भी उपर्युक्तानुसार निराधार एवं निरस्त करने योग्य है।

4. इस न्यायालय के पत्र दिनांक 10.03.2016 द्वारा प्रतिवादी के उपरोक्त पत्र की प्रति शिकायतकर्ता को उनके टिप्पण हेतु भेजी गयी ।

5. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 21.03.2016 एवं 02.05.2016 द्वारा अन्यों के अतिरिक्त उल्लेखित किया कि प्रतिवादी द्वारा बैंक में कार्यरत विकलांग कर्मचारियों को आरक्षण सम्बन्धी लाभ से जानबूझकर वंचित किये जाने के दूषित कृत्य को छिपाने तथा सम्पूर्ग प्रकरण को दिगभ्रमित किये जाने की मनोदशा से प्रेरित होकर एक सोची समझी प्रशासनिक रणनीति के तहत् बिन्दु संख्या एक व दो में अभिलेखित भ्रमात्मक तथ्यों का सृजन किया गया है जिसका प्रश्नगत शिकायत से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। वित मंत्रालय, बैंकिग डिविजन द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 3/9/2001–एससीटी(बी) के माध्यम से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा अध्यक्ष इण्डियन बैंक एसोसिएशन को जारी किये गये आदेशात्मक प्रावधानों के अनुसार बैंकिग उद्योग मे समूह बी के रूप में वर्गीकृत पदों को भी पदोन्नति में विकलांग कर्मिकों को आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

6. इस न्यायालय के पत्र दिनांक 29.08.2016 द्वारा वादी को सूचित किया गया कि वर्तमान में केन्द्र सरकार में वर्ग 'क' एवं 'ख' में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। यदि बैंक में वर्ग 'क' एवं 'ख' में आरक्षण का प्रावधान है तो, वह संबंधित नियम की एक प्रति इस न्यायालय को पत्र मिलने के 15 दिन के भीतर भेजें।

7. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र 08.09.2016 द्वारा मामले में अपना सघन रिज्वाईडर दायर किया।

8. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मामले को दिनांक 28.12.2016 को सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया।

9. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि वह अस्वस्थता के कारण दिनांक 28.12.2016 को प्रस्तावित सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ है। अतः अनुरोध है कि उसके लिखित कथन को दिनांक 28.12.2016 को प्रस्तावित सुनवाई का भाग/अंग बनाने के साथ ही न्यायहित में सनुवाई हेतु कोई अन्य तिथि नियत कर सूचित करने की कृपा करें ।

10. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित होने वाले प्रतिनिधि श्री एस.सी. गौरव, अधिवक्ता ने अध्यक्ष, पूर्वांचल बैंक, प्रतिवादी के पत्र दिनांक 28.12.2016 की प्रति प्रस्तुत की, जिसे अभिलेख पर लिया गया । न्यायालय की ओर से जब प्रतिवादी के प्रतिनिधि को आरक्षण रोस्टर दिखाने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की और कुछ समय प्रदान करने के लिए अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया ।

11. प्रतिवादी को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2017 को प्रतिवादी को यह निर्देश दिया गया कि वे इस कार्यवाही के अभिलेख की प्राप्ति के दो महीने के अन्दर दिनांक 01.01.1996 से समूह क, ,ख, ग और घ के संबंध में आरक्षण रजिस्टर संपर्क अधिकारी के इस प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित करते हुए कि आरक्षण रजिस्टर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार बनाया गया है, इस न्यायालय में प्रस्तुत करें । आरक्षण रजिस्टर बनाते समय निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 33 के उपबंधो का भी पालन किया जाए ।

12. मामले में अगली सुनवाई दिनांक 01.06.2017 को 16.00 बजे नियत की गई ।

13. मामले में निर्धारित सुनवाई दिनांक 01.06.2017 को कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ, अतः मामले को निःशक्तजन अधिकार नियम 2017 के नियम 38(4) के तहत खारिज किया जाता है।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन